एससीटीसी सं. 828

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2019-2020)

(सत्रहवीं लोक सभा)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

संबंधी

पहला प्रतिवेदन

सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा ''अनुसूचित जातियों के विकास और कल्याण हेतु अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) की निगरानी तथा इसका कार्यान्वयन'' विषय पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के पच्चीसवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्रवाई।

18.03.2020 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया

18.03.2020 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

18 मार्च, 2020/27 फाल्गुन, 1941 (शक)

विषय - सूची

पृष्ठ

समिति की संरचना ..... (iii)

प्राक्कथन ..... (v)

अध्याय - एक प्रतिवेदन .....

अध्याय - दो सिफारिशें/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है .....

अध्याय - तीन सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती.....

अध्याय - चार सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है .....

अध्याय - पांच सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके सबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं .....

परिशिष्ट

एक समिति की दिनांक 10.2.2020 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश.....

दो पच्चीसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्रवाई का विश्लेषण .....

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति (2018-19) की संरचना

डॉ. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी - सभापति

सदस्य - लोक सभा

2. श्री गिरीश चन्द्र
3. श्री संतोख सिंह चौधरी
4. श्री अनिल फिरोजिया
5. श्री तापिर गाव
6. श्री सौमित्र खान
7. कुमारी गोड्डेति माधवी
8. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
9. श्री ए. नारायणस्वामी
10. श्री अशोक महादेवराव नेते
11. श्री विनसेंट एच. पाला
12. श्री छेदी पासवान
13. श्री ए. राजा
14. श्री उपेन्द्र सिंह रावत
15. श्रीमती संध्या राय
16. श्री रेबती त्रीपुरा
17. इंजीनियर बिश्वेश्वर टुडु
18. श्री कृपाल बालाजी तुमाने
19. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा
20. श्री प्रिंस राज

सदस्य - राज्य सभा

21. श्री अबीर रंजन बिस्वास
22. श्री शमशेर सिंह ढुलो
23. डा. नरेन्द्र जाधव
24. श्री अमर शंकर साबले
25. श्री राम शकल
26. श्री वीर सिंह
27. श्री के. सोमप्रसाद
28. श्रीमती वानसुक साइम
29. महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया
30. श्री रामकुमार वर्मा

सचिवालय

1. श्री आर.सी. तिवारी - संयुक्त सचिव
2. श्री ~~एच.के.~~ श्रीवास्तव - निदेशक
3. श्री वी.के. शैलोन - उप सचिव
4. श्रीमती हुमा इकबाल - सहायक समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिये जाने तथा इसे सभा को प्रस्तुत किये जाने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर "सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों के विकास और कल्याण हेतु अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) की निगरानी तथा इसका कार्यान्वयन" विषय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) से संबंधित समिति के पच्चीसवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्रवाई संबंधी यह पहला प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ।

2. समिति ने 10.2.2020 को हुई अपनी बैठक में इस प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया (परिशिष्ट-एक)।

3. प्रतिवेदन को निम्नलिखित अध्यायों में विभाजित किया गया है:-

एक	प्रतिवेदन
दो	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है।
तीन	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती।
चार	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है।
पांच	सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके सबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

4. समिति के पच्चीसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्रवाई का विश्लेषण परिशिष्ट-दो में दिया गया है।

नई दिल्ली;
मार्च, 2020
फाल्गुन, 1941 (शक)

डॉ. किरिट पी. सोलंकी
सभापति
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों
के कल्याण संबंधी समिति

अध्याय - एक

प्रतिवेदन

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का यह प्रतिवेदन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित "सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जातियों के विकास और कल्याण हेतु अनुसूचित जाति उप-योजना (एससीएसपी) की निगरानी तथा इसका कार्यान्वयन" विषय पर समिति के पच्चीसवें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्रवाई के बारे में है।

1.2 समिति का पच्चीसवां प्रतिवेदन 09 अगस्त, 2018 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था तथा राज्य सभा के पटल पर रखा गया था। इस प्रतिवेदन में 10 सिफारिशें/टिप्पणियां अंतर्विष्ट थीं। इन सभी सिफारिशों/टिप्पणियों के बारे में सरकार के उत्तरों की जांच की गई है और उनका निम्नवत् वर्गीकरण किया गया है:-

(एक) सिफारिशें/टिप्पणियां, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है (क्रम सं. 2, 4 और 9)

(दो) सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती (क्रम सं. 6, 8 और 10)

(तीन) सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है (क्रम सं. 1, 3, 5 और 7)

(चार) सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं

1.3 समिति अब अपनी कुछ उन सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर विचार करेगी जिन्हें दोहराये जाने या जिन पर टिप्पणी किए जाने की आवश्यकता है।

सिफारिश (क्र. सं. 1)

1.4 समिति का यह दृढ़ मत है की अ.जा. और अ.ज.जा. हेतु तैयार किये गए कार्यक्रमों को उनके लिए अधिक संतुलित और समतावादी समाज के सृजन के लिए संबंधित मंत्रालयों द्वारा ईमानदारी पूर्वक लागू किया जाना चाहिए | अतः समिति सिफारिश करती है की एससीएसपी के पास इस योजना के गंभीर और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सांविधिक सहायता होनी चाहिए जैसा की इसे कर्नाटक और तेलंगाना राज्य सरकारों के द्वारा किया गया हैं ताकि संबंधित मंत्रालय एडब्लूएससी हेतु ईमानदारी पूर्वक योजना बनाए, कार्यान्वित करे और इसकी निगरानी कर सके |

सरकार का उत्तर

1.5 अब तक तीन राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना ने अपने-अपने राज्यों में एससीएसपी विधान अधिनियमित किए हैं। नीति आयोग इस विषय पर किसी केंद्रीय विधान के लिए प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व इन राज्यों के विधानों के प्रभाव की जांच कर रहा है। नीति आयोग ने यह भी सूचित किया है कि अनुसूचित जातियों के लिए उप-योजना के संबंध में कोई केंद्रीय विधान बनाने की बजाए इस स्तर पर उप-योजनाओं के प्रभावी आउटपुट और परिणामों की निगरानी करना अधिक उपयुक्त होगा।

समिति की टिप्पणियाँ

1.6 समिति अन्य राज्यों की तुलना में अजा/अजजा के प्रभावी सामाजिक-आर्थिक समग्र विकास पर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना राज्यों में एडब्ल्यूएससी पर राज्य विधान का पड़ने वाला प्रभाव जानना चाहती है। समिति अपने पूर्व प्रस्ताव को पुन: दोहराती है कि केन्द्रीय विधान से एडब्ल्यूएससी को सांविधिक सहायता मिलेगी और इस प्रकार से देशभर में इसके प्रभावी और सुगम कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त होगा। इस प्रकार से विधान से राज्य विधानों की जरूरत समाप्त हो जाएगी और देशभर में अनुसूचित जातियों के प्रति एक समान दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा। एडब्ल्यूएससी के तहत केन्द्रीय विधान से योजनाएं महज़ आंकड़ों तथा सांख्यिकी तक सीमित रहने के बजाय अपना कार्य अक्षरश: कर पाएगी।

सिफारिश (क्र. सं. 13)

1.7 जाधव समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित करनां और एससीएसपी हेतू निधियों के निर्धारण के लिए चार श्रेणियों में मंत्रालयों को विभाजित करना एक बेहतर कदम है | किंतु यदि विभिन्न मंत्रालयों विशेषकर वित्त मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नीति आयोग और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच प्रभावी समन्वय न हो तो एडब्लूएससी के अंतर्गत कोई भलदायी परिणाम नही मिलेगा| एडब्लूएससी के तहत योजनाएं केन्द्रीय मंत्रालयों, और राज्यों के बीच समन्वय की कमी के कारण असफल हो जाती है | अंततः अधिक एजेन्सियों की अंतर्ग्रस्तता के कारण यह कार्य बेहतर तरीके से नही हो पता है और इसलिए सभी योजनाएं किसी न किसी स्तर पर अटकी हीं रह जाती है | अंतः समिति सिफारिश करती है कि चूंकि इन योजनाओं में कई मंत्रालय, नीति आयोग और कई राज्य शामिल हैं, इसलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण है कि उनके बीच समन्वय हो | नीति आयोग अथवा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सांविधिक अधिकार दिए जाएं ताकि यह विभिन्न स्तरों पर देरी और विसंगतियों को दूर कर सकें और योजनाओं को इनके अपेक्षित लक्ष्य तक पहुंचाया जा सके |

सरकार का उत्तर

1.8 समिति की सिफारिश नोट कर ली गई है।

समिति की टिप्पणियाँ

1.9 जाधव समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के संबंध में समिति की अत्यंत महत्वपूर्ण सिफारिश पर सरकार द्वारा दिया गया उत्तर 'समिति की सिफारिश नोट कर ली गई है' से समिति संतुष्ट नहीं है। अतः समिति एडब्ल्यूएससी के तहत आने वाली योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय और नीति आयोग के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर पुनः जोर देती है। एडब्ल्यूएससी के तहत आने वाली अधिकतर योजनाएं अपने कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर मंत्रालय और नीति आयोग के बीच समन्वय के अभाव के कारण केवल दस्तावेज पर ही रह जाती हैं। इस परिस्थिति के मद्देनज़र एडब्ल्यूएससी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समिति का यह एक सुविचारित विचार है कि देशभर में विधान जरूर होना चाहिए।

सिफारिश (क्र. सं. 5)

1.10 समिति महसूस करती है की पहचान किए गए केन्द्रीय क्षेत्र एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं हेतु एडब्लूएससी की वित्तीय, वास्तविक और परिणाम आधार निगरानी के लिए संयुक्त सचिव स्तर के नोडल अधिकारी को नामित किया जाना एडब्लूएससी की निगरानी की दिशा में एक अच्छा कदम है। किंतु समिति महसूस करती है कि एडब्लूएससी के तहत प्रगति की निगरानी करने के लिए क्षेत्र स्तर पर एडब्लूएससी एकाक में पृथक और पर्याप्त कर्मचारी तैनात होनी चाहिए। समिति सिफारिश करती है कि कर्मियों की उनके कृत्यों के लिए उनकी जिम्मेदारियां तय की जाएं। इसके अतिरिक्त समिति सिफारिश करती है कि निवारक के रूप में दोषी अधिकारीयों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएं। सरकार को इसे परिणामोन्मुखी बनाने के लिए क्षेत्र स्तार पर विद्यमान मशीनरी को तैयार और सुकर बनाया जाए।

सरकार का उत्तर

1.11 समिति की सिफारिश नोट कर ली गई है और उस पर विभाग द्वारा विचार किया जाएगा।

समिति की टिप्पणियाँ

1.12 समिति सरकार द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं है। अत: समिति पुन: अपनी बात को दोहराती है कि इसकी सिफारिशों को गंभीरता से लिया जाए और एडब्ल्यूएससी के तहत क्षेत्र स्तर पर अधिकारियों को और अधिक जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने हेतु कदम उठाए जाने चाहिएं। क्षेत्र स्तर के अधिकारी ही योजनाओं को वास्तविक बनाते हैं और उन्हें कागज से वास्तविक रूप में गांवों तथा नगरों तक पहुंचाते हैं। समिति को इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराया जाए।

सिफारिश (क्र. सं. 4)

1.13 समिति नोट करती है कि एडब्लूएससी के तहत योजनाएं अधिकांश राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं की जा रही हैं। समिति सिफारिश करती है कि इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया जाना चाहिए और एडब्लूएससी के तहत राज्य में अ.जा. लोगों की संख्या को देखते हुए कुल राज्य योजना व्यय के अनुपात में निधियां आबंटित की जानी चाहिए।

सरकार का उत्तर

1.14 असम और झारखंड के सिवाए, सभी राज्य; अपने-अपने राज्य की अनुसूचित जाति जनसंख्या के अनुपात में एडब्लूएससी के तहत धनराशि आवंटित करते हैं। इन दो राज्यों को उनकी अपनी-अपनी अनुसूचित जाति जनसंख्या के अनुपात में धनराशि जारी करने की सलाह दी जा रही है।

समिति की टिप्पणियां

1.15 असम और झारखण्ड को उनकी अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुसार एडब्ल्यूएससी के तहत धनराशि को कार्यान्वित करने की सख्ती से सलाह दी जानी चाहिए। समिति सिफारिश करती है कि यदि धनराशि प्राप्त करने वाला कोई राज्य केन्द्र के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करता है तो एडब्ल्यूएससी द्वारा तब तक कोई धनराशि आबंटित नहीं की जानी चाहिए जब तक कि राज्य सरकार केन्द्र के दिशानिर्देशों का अनुपालन न करे।

अध्याय दो

सिफारिशें / टिप्पणियाँ, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है।

सिफारिश (क्र. सं. 2)

2.1 समिति सुझाव देती है की एडब्लूएससी के तहत विभिन्नयोजनाओं के लिए प्रावधानों को करते हुए सरकार महत्वपूर्ण रूप से देश में गरीबी समाप्त करने से जुड़ी समस्या का समाधान कर पाएगी। इसलिए समिति सिफारिश करती है की अ.जा. और अ.ज.जा. में सबसे पिछड़े समुदायों की तत्काल पहचान की जानी चाहिए तथा विशिष्ट योजनाओं और कार्यक्रमों को उनकी सामाजिक और आर्थिक दशाओं में सुधार करने के लिए तैयार और लागू किया जाए।

सरकार का उत्तर

2.2 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा उठाए गए सामाजिक-आर्थिक वंचन और नुकसान की वजह से इन दोनों समुदायों और भारत की शेष जनसंख्या के बीच बहुत बड़े अंतर को खत्म करने तथा विकास घाटे को कम करने के लिए उपाय करने के बारे में निर्णय लेना पड़ा। इस आधार पर, छठी पंचवर्षीय योजनावधि (1979-80) के अंतर्गत, विशेष घटक योजना (जिसका नाम बदलकर अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए आबंटन किया गया) शुरू की गई थी, जिसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष संरक्षण और उनके विकास के लिए विशेष प्रावधान अधिदेश किया गया था।

सिफारिश (क्र. सं. 4)

2.3 समिति सीएजी के निष्कर्षों में पाती है किअ.जा. और अ.ज.जा. के विकास के लिए निर्धारित निधियों को अन्य उद्देश्यों के लिए खर्च कर दिया गया है। समिति इस मामले को गंभीरता से लेती है और सिफारिश करती है कि नीति आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अ.जा./अ.ज.जा. के लिए संबंधित विकास योजनाओं के लिए निर्धारित निधियों को किसी भी परिस्थिति में अन्यत्र उपयोग में न लाया जाए। समिति महसूस करती है की एडब्लूएससी की प्रगति की निगरानी करने के लिए ऑनलाइन आंकड़ा इकट्ठा करने हेतु न्य साफ्टवेयर (ई उत्थान) एक बेहतर पहल है। किंतु एडब्लूएससी योजनाएं अधिकांश रूप में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होती हैं जहां ऐसे उंचे स्तर तक डिजिटलकरण नहीं पहुंचा है। केवल आंकड़ो पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय यह महत्वपूर्ण हैं की मंत्रालय और नीति आयोग इस पर नियंत्रण रखें कि:

(क) निधियां अप्रयुक्त नही रहे| पूर्व में ऐसे उदाहरण रहे हैं जहां एडब्लूएससी के लिए आबंटित निधियां समूचे वित्तीय वर्ष में अप्रयुक्त पड़ीं रहीं और बाद में राशि को वापस लौटा दिया गया | इसमें बड़ी अव्यवस्था है और अ.जा. और अ.ज.जा. की बेहतरी के लिए सरकार की ओर से इच्छा की कमी कहा जा सकता है |

(ख) इन निधियों को अन्य संस्थाओ यथा अल्पसंख्या संस्थाओ, अन्य विकास संबंधी संस्थाओ को नही प्रदान की जाए जिसका फोकस अ.जा. और अ.ज.जा. नहीं हो |

(ग) निचले स्तर पर निधियो का कोई दुर्विनियोजन नही है | जहां योजनाओं को लागू किया जाना होता हैं | इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुचें न कि यह केवल कागज पर सिमटा रहे |

(घ) निधियो को समय पर जारी कियां जाता है न की वित्तीय वर्ष के अंत में जारी किया जाता है जिसके कारण बड़ी मात्रा में यह अप्रयुक्त पड़ीं रहे |

सरकार का उत्तर

2.4 (क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को एडब्ल्यूएससी की निगरानी करने के लिए बजटीय आबंटन करने के परिणामस्वरूप, एडब्ल्यूएससी के व्यय में सभी किस्म की अनियमित्ताओं को रोकने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा एडब्ल्यूएससी की निगरानी करने के लिए विकसित किए गए वेब पोर्टल (e-utthaan.gov.in) को वित्तीय निगरानी के लिए पीएफएमएस के साथ सीधे जोड़ा गया है। अतः, विभागों/मंत्रालयों द्वारा की गई वित्तीय प्रगति वास्तविक आधार पर की जाती है।

(ख) तथा (ग) : वित्त मंत्रालय ने अपने 23 अगस्त 2016 के का.ज्ञा. के तहत स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि एससी/एसटी शीर्षों से अन्य किसी शीर्ष में निधियों के पुनर्विनियोजन पर रोक लगाई गई है।

(घ) राज्य सरकार से अपेक्षित लम्बित उपयोग प्रमाण पत्र, वार्षिक कार्य योजना और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के बाद ही निधियां जारी की सकती हैं। इन आवश्यक दस्तावेजों के प्राप्त होने के बाद ही निधियां जारी की जाती हैं।

सिफारिश (क्र. सं. 9)

2.5 एडब्लूएससी के तहत सभी योजनाओं की वित्तीय प्रगति को लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ संबद्ध किया गयाहै और इसलिए निगरानी का कार्य वास्तविक समय आधार पर किया जाता है | समय समय पर मंत्रालयों/विभागों पर एडब्लूएससी के अंतर्गत आबंटित निधियों के पूर्ण उपयोग के लिए जोर दिया जाता है | नीति आयोग ने इस संबंध में राज्य सरकारों को निर्देश भी जारी किया हैं | किंतु समिति महसूस करती हैं कि केवल एडब्लूएससी को पीएफएमएस के साथ संबद्ध करना हीं पर्याप्त नही हैं| नीति आयोग को एडब्लूएससी के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के साथ योजनाओं की निगरानी करने के लिए एक कठोर तंत्र विकसित करना होगा ताकि आबंटित निधि वास्तवित लाभार्थियों तक पहुंचे |

सरकार का उत्तर

2.6 इस समय, विभाग कुछ सख्त तंत्र व्यवस्था स्थापित करने के लिए, नीति आयोग के साथ काम कर रहा है ताकि एडब्लूएससी के तहत धनराशियां केवल वास्तविक लाभार्थियों को ही प्राप्त हों।

अध्याय तीन

सिफारिशों/टिप्पणियां, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती है

सिफारिश (क्र. सं. 6)

3.1 समिति आगे सिफारिश करती है कि मंत्रालयों को नीति आयोग से पर्याप्त वित्त प्राप्त करने के लिए अपनी निगरानी तंत्र की समीक्षा करनी चाहिए। और निधियों के उपयोग की निगरानी के लिए ऐ सुनिश्चित तंत्र होना चाहिए। जो चूककर्ता राज्य प्रगति रिपोर्ट नहीं देता अथवा उपयोगिता प्रमाणपत्र नहीं देता है, उनसे केन्द्र द्वारा कड़ाई से निपटा जाना चाहिए। आगे समिति पुरजोर सिफारिश करती है की निधियों के उचित उपयोग के बारे में मंत्रालय की स्पष्ट तस्वीरप्रदान करना चाहिए ताकि नीति आयोग से पर्याप्त आबंटन प्राप्त हो सके।

सरकार का उत्तर

3.2 इन योजनाओं के तहत धनराशियों का आवंटन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है।वित्त मंत्रालय द्वारा,अनुवर्ती वर्ष के लिए धनराशि आवंटित करने से पहले, धनराशियों के उपयोगपर कड़ी निगरानी की जाती है।वित्त मंत्रालय द्वारा धनराशियों के समुचित उपयोग के आधार पर आवंटन किया जाता है। इसके अलावा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, पूर्व में जारी धनराशियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति के बाद, अनुसूचित जाति उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत धनराशि भी जारी करता है।

सिफारिश (क्र. सं. 8)

3.3 समिति सिफारिश करती है कि सभी राज्य सरकारों की नीति आयोग को एडब्लूएससी के तहत राज्य द्वारा प्राप्त क्षेत्र-वार और योजना-वार वित्तीय और वास्तविक लक्ष्यों का ब्यौरा देते वार्षिक रिपोर्ट देने के लिए अनुदेश दिया जाए।

सरकार का उत्तर

3.4 अनुसूचित जाति उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता संबंधी योजना में संशोधन किया जा रहा है जिसमें यह प्रस्ताव है कि अनुसूचित जाति उप-योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता संबंधी योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय आवंटन,राज्य एससीएसपी आवंटन के तहत राज्यों द्वारा प्राप्त वित्तीय एवं वास्तविक लक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा।

सिफारिश(क्र. सं. 10)

3.5 वर्ष 2017-18 के दौरान 52392.55 करोड़ रूपए की राशि एडब्लूएससी को आबंटित की गयी है जो 26 मंत्रालयों/विभागों की पहचान की गयी केन्द्र प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं को 20.20 प्रतिशत हैं। समिति महसूस करती है की वर्ष 2017-18 के लिए एडब्लूएससी के लिए बजट आबंटन बेहतर है और आशा है की आने वाले वर्षों में इस आबंटन में बढ़ोतरी की जाएगी। देश की कुल आबादी में अ.जा. का हिस्सा 16 प्रतिशत है किंतु उनके लिए निरुपित कई योजनाओं और प्लानों के बावजूद उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है। समिति सिफारिश करती है है अ.जा. के क्षेत्रीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनायी जाएं तथा इन मुद्दों के अनुसार हीं राज्यों को निधियां आबंटित की जाएं। इससे लक्षित जनसंख्या को सहायता मिलेगी जो पूर्व में विभिन्न योजनाओं के असफल रह जाने के कारण इनसे अछूते हैं।

सरकार का उत्तर

3.6 विभाग को, केवल केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के लिए, नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए इंडीकेटरों के अनुसार एडब्लूएससी के तहत योजनाओं की वास्तविक, वित्तीय और परिणामी प्रगति की निगरानी करने के लिए अधिदेशित किया गया है। इसके अलावा, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, राज्य वार्षिक कार्य योजना के आधार पर, राज्यों को अनुसूचित जाति उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत धनराशियां जारी करता है।

अध्याय चार

सिफारिशें/टिप्पणियां जिनके संबंध में सरकार द्वारा दिए गए उत्तरों को समिति ने स्वीकार नहीं किया और जिन्हें दोहराने की आवश्यकता है।

सिफारिश (क्र. सं. 1)

4.1 समिति का यह दृढ़ मत है की अ.जा. और अ.ज.जा. हेतु तैयार किये गए कार्यक्रमों को उनके लिए अधिक संतुलित और समतावादी समाज के सृजन के लिए संबंधित मंत्रालयों द्वारा ईमानदारी पूर्वक लागू किया जाना चाहिए। अतः समिति सिफारिश करती है की एससीएसपी के पास इस योजना के गंभीर और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सांविधिक सहायता होनी चाहिए जैसा की इसे कर्नाटक और तेलंगाना राज्य सरकारों के द्वारा किया गया हैं ताकि संबंधित मंत्रालय एडब्लूएससी हेतु ईमानदारी पूर्वक योजना बनाए, कार्यान्वित करे और इसकी निगरानी कर सके।

सरकार का उत्तर

4.2 अब तक तीन राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना ने अपने-अपने राज्यों में एससीएसपी विधान अधिनियमित किए हैं। नीति आयोग इस विषय पर किसी केंद्रीय विधान के लिए प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व इन राज्यों के विधानों के प्रभाव की जांच कर रहा है। नीति आयोग ने यह भी सूचित किया है कि अनुसूचित जातियों के लिए उप-योजना के संबंध में कोई केंद्रीय विधान बनाने की बजाए इस स्तर पर उप-योजनाओं के प्रभावी आउटपुट और परिणामों की निगरानी करना अधिक उपयुक्त होगा।

समिति की टिप्पणियां

4.3 देखिए अध्याय एक का पैरा सं. 1.6

सिफारिश (क्र. सं. 3)

4.4 जाधव समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित करना और एससीएसपी हेतू निधियों के निर्धारण के लिए चार श्रेणियों में मंत्रालयों को विभाजित करना एक बेहतर कदम है | किंतु यदि विभिन्न मंत्रालयों विशेषकर वित्त मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नीति आयोग और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच प्रभावी समन्वय न हो तो एडब्लूएससी के अंतर्गत कोई भलदायी परिणाम नही मिलेगा| एडब्लूएससी के तहत योजनाएं केन्द्रीय मंत्रालयों, और राज्यों के बीच समन्वय की कमी के कारण असफल हो जाती है | अंततः अधिक एजेन्सियों की अंतर्ग्रस्तता के कारण यह कार्य बेहतर तरीके से नही हो पता है आयर इसलिए सभी योजनाएं किसी न किसी स्तर पर अटकी हीं रह जाती है | अंतः समिति सिफारिश करती है की चूंकि इन योजनाओं में कई मंत्रलाय, नीति आयोग और कई राज्य शामिल हैं, इसलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण है की उनके बीच समन्वय हो | नीति आयोग अथवा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सांविधिक अधिकार दिए जाएं ताकि यह विभिन्न स्तरों पर देरी और विसंगतियों को दूर कर सकें और योजनाओं को इनके अपेक्षित लक्ष्य तक पहुंचाया जा सके |

सरकार का उत्तर

4.5 समिति की सिफारिश नोट कर ली गई है।

समिति की टिप्पणियां

4.6 दोहराए अध्याय एक का पैरा सं. 1.9 |

सिफारिश(क्र. सं. 5)

५.७ समिति महसूस करती है की पहचान किए गए केन्द्रीय क्षेत्र एवं केंद्र प्रायोजित योजनाओं हेतु एडब्लूएससी की वित्तीय, वास्तविक और परिणाम आधार निगरानी के लिए संयुक्त सचिव स्तर के नोडल अधिकारी को नामित किया जाना एडब्लूएससी की निगरानी की दिशा में एक अच्छा कदम है | किंतु समिति महसूस करती है कि एडब्लूएससी के तहत प्रगति की निगरानी करने के लिए क्षेत्र स्तर पर एडब्लूएससी एकाक में पृथक और पर्याप्त कर्मचारी तैनात होनी चाहिए | समिति सिफ़ारिश करती है कि कर्मियों की उनके कृत्यों के लिए उनकी जिम्मेदारियां तय की जाएं | इसके अतिरिक्त समिति सिफारिश करती है कि निवारक के रूप में दोषी अधिकारीयों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाएं | सरकार को इसे परिणामोन्मुखी बनाने के लिए क्षेत्र स्तार पर विद्यमान मशीनरी को तैयार और सुकर बनाया जाए |

सरकार का उत्तर

५.८ समिति की सिफारिश नोट कर ली गई है और उस पर विभाग द्वारा विचार किया जाएगा।

समिति की टिप्पणियाँ

५.९ देखिए अध्याय एक का पैरा सं. 1.12 |

सिफारिशें(क्र. सं. 7)

4.10 समिति नोट करती है कि एडब्लूएससी के तहत योजनाएं अधिकांश राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रभावी रूप से कार्यान्वित नही की जा रही हैं। समिति सिफारिश करती है कि इस संबंध में आवश्यक दिशानिर्देश राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया जाना चाहिए और एडब्लूएससी के तहत राज्य में अ.जा. लोगों की संख्या को देखते हुए कुल राज्य योजना व्यय के अनुपात में निधियाँ आबंटित की जानी चाहिएं।

सरकार का उत्तर

4.11 असम और झारखंड के सिवाए, सभी राज्य, अपने-अपने राज्य की अनुसूचित जाति जनसंख्या के अनुपात में एडब्लूएससी के तहत धनराशि आवंटित करते हैं। इन दो राज्यों को उनकी अपनी-अपनी अनुसूचित जाति जनसंख्या के अनुपात में धनराशि जारी करने की सलाह दी जा रही है।

समिति की टिप्पणियाँ

4.12 देखिए अध्याय एक का पैरा सं. 1.15।

अध्याय-पांच

सिफारिशें/टिप्पणियां, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ।

- शून्य -

नई दिल्ली;
मार्च, 2020
फाल्गुन,1941 (शक)

डॉ. किरिट पी. सोलंकी
सभापति
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों
के कल्याण संबंधी समिति

परिशिष्ट-दो

(देखिए, प्राक्कथन का पैरा 4)

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के पच्चीसवें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई कार्रवाई का विश्लेषण।

1.	सिफारिशों की कुल संख्या	10
2.	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिन्हें सरकार ने स्वीकार कर लिया है (देखिये, सिफारिश सं. 2, 4 और 9)	3
	कुल का प्रतिशत	30%
3.	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति सरकार के उत्तरों को देखते हुए आगे कार्यवाही नहीं करना चाहती: (देखिये, सिफारिश सं. 6, 8 और 10)	3
	कुल का प्रतिशत	30%
4.	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में समिति ने सरकार के उत्तर स्वीकार नहीं किए हैं और जिन्हें दोहराए जाने की आवश्यकता है (देखिये, सिफारिश सं. 1, 3, 5 और 7)	4
	कुल का प्रतिशत	40%
5.	टिप्पणियां/सिफारिशें, जिनके संबंध में सरकार के अंतिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं (.....)	0

पी०सी०२१०८ ।

गोपनीय

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति
(2019-2020)

(सत्रहवीं लोक सभा)

दसवीं बैठक
(10.02.2020)

कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 1500 बजे से 1630 बजे तक समिति कमरा सं. 3, प्रथम तल, संसदीय सौध विस्तार भवन, ब्लॉक-ए, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

डॉ. किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री संतोख सिंह चौधरी
3. कुमारी गोड्डेति माधवी
4. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
5. श्री अशोक महादेवराव नेते
6. श्री विनसैंट एच. पाला
7. श्री छेदी पासवान
8. श्री ए. राजा
9. श्री उपेन्द्र सिंह रावत
10. श्रीमती संध्या राय
11. इंजीनियर बिश्वेश्वर टुडु
12. श्री कृपाल बालाजी तुमाने
13. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा

राज्य सभा

14. श्री अबीर रंजन बिस्वास
15. श्री राम शकल
16. श्री के. सोमप्रसाद
17. श्रीमती वानसुक साइम
18. महंत शम्भुप्रसादजी तुंदिया
19. श्री रामकुमार वर्मा

सचिवालय

1. श्री आर.सी. तिवारी, संयुक्त सचिव
2. श्री ए.के. श्रीवास्तव, निदेशक
3. श्री वी.के. शैलोन, उप सचिव
4. श्री मुकेश कुमार, उप सचिव

साक्षियों की सूची

कोयला मंत्रालय

1. श्री अनिल कुमार जैन - सचिव
2. श्री विनोद कुमार तिवारी - अपर सचिव
3. श्री राजेश कुमार सिन्हा - संयुक्त सचिव

कोल इंडिया लिमिटेड

श्री प्रमोद अग्रवाल - अध्यक्ष

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड

श्री पी.एम. प्रसाद - सीएमडी

सैंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

श्री गोपाल सिंह - सीएमडी

सैंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड

श्री शेखर सरन - सीएमडी

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

श्री पी.एस. मिश्रा - सीएमडी

महानदी कोलफील्डस लिमिटेड

श्री बी.एन. शुक्ला - सीएमडी

नॉर्थन कोलफील्ड्स लिमिटेड

श्री पी.के. सिन्हा - सीएमडी

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

श्री ए.पी. पांडा - सीएमडी

वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड

श्री आर.आर. मिश्रा - सीएमडी

शुरू में, सभापति ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया । उसके बाद समिति ने 'समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना (एससीएसपी) की मॉनीटरिंग तथा

अनुसूचित जनजातियों के विकास और कल्याण हेतु इसका कार्यान्वयन' विषय के संबंध में समिति के 25वें प्रतिवेदन (16वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श किया और बिना किसी परिवर्तनों के इसे स्वीकृत किया। समिति ने संसद के चालू सत्र में दोनों सदनों में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सभापति को प्राधिकृत किया।

3. उसके बाद, साक्षियों को समिति कक्ष में बुलाया गया। सभापति ने कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी इकाइयों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया तथा चर्चा की विषय-वस्तु को लेकर मुख्य-मुख्य मसलों पर कुछ शुरूआती टिप्पणियां भी की। कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक (कार्मिक) ने पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति दी और उसके कतिपय प्रिंट्स कॉपी किए गए। जब पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति समाप्त हुई तो निम्नलिखित मुख्य बिन्दुओं पर चर्चा हुई :-

(एक) सीआईएल तथा इसकी अनुषंगी इकाइयों में विभिन्न श्रेणियों के पदों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों की भर्ती;

(दो) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रत्याशियों के संदर्भ सहित ठेका श्रमिकों का नियमितीकरण;

(तीन) विशेषकर वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) में बोगस कामगार;

(चार) विदेशों में कोयला कंपनियों के कर्मचारीवृंद को प्रशिक्षण;

(पांच) कोयला कंपनियों के विभिन्न क्षेत्रों में ठेकेदारी का मानदण्ड;

(छह) जमीन गंवाने वालों को मुआवज़ा तथा विस्थापित हुए लोगों को रोजगार;

(सात) ई-6 लेवल तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशियों को आरक्षण;

(आठ) दुर्घटना पीड़ितों के परिवार के सदस्यों को रोजगार;

(नौ) मुख्य तौर पर उन क्षेत्रों में जहां समिति ने अध्ययन दौरों के दौरान उनका दौरा किया है, में कारपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत कार्य; और

(दस) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी एसोसिएशन के साथ तिमाही बैठकें।

4. कोयला मंत्रालय तथा कोल इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने कारपोरेट सामाजिक दायित्व के तहत उनके द्वारा शुरू किए गए विभिन्न कल्याणकारी कार्यों के संबंध में समिति को अवगत कराया और उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी इकाइयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा करने के लिए संपर्क अधिकारियों की भूमिका के बारे में भी अवगत कराया। वे इस बात से भी सहमत हुए कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघों के साथ तिमाही बैठकें हों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को विदेशों में प्रशिक्षण दिया जाए। कतिपय बिंदुओं जिनके संबंध में उस समय सूचना उपलब्ध

नहीं थी, समिति ने कोयला मंत्रालय तथा कोल इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधियों को यह निदेश दिया कि वे सूचनाएं 15 दिनों के भीतर समिति को उपलब्ध कराएं ।

(साक्षी साक्ष्य देकर चले गए)

कार्यवाही का शब्दश: रिकार्ड रखा गया है।

5. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।